



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार - 249404

संख्या: 202/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य (COMMERCE) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 20 जुलाई, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन/वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	520064	<p>अभ्यर्थी से अनर्हता सूची दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय की गणना के आधार पर EWS श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र/आख्या वांछित थी जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र दिनांक 05.11.2022 संलग्न किया गया है, जो कि विज्ञापन की शर्तानुसार वैध नहीं है।</p> <p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा EWS प्रमाण पत्र से संबंधित वैध अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने तथा GEN/UF के कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से साक्षात्कार हेतु अनर्ह किया गया है।</p>
2.	520071	<p>अभ्यर्थी से अनर्हता सूची दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय की गणना के आधार पर EWS श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र/आख्या वांछित थी जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य, वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मान्य, वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र, दिनांक 20.07.2023 व दिनांक 11.07.2023 को सक्षम प्राधिकारी/तहसीलदार द्वारा EWS प्रमाण पत्र के सापेक्ष प्रदत्त आख्या संलग्न की गई है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आख्या स्पष्ट नहीं है तथा दिनांक 27.09.2021 को जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो कि विज्ञापन की शर्तानुसार वैध नहीं है।</p>

		<p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा EWS प्रमाण पत्र से संबंधित वैध अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने तथा GEN/UF के कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से साक्षात्कार हेतु अनर्ह किया गया है।</p>		
3.	520130	<p>अभ्यर्थी से अनर्हता सूची दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधित प्रमाण पत्र/आख्या वांछित थी जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा 02 ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र 1. दिनांक 07.08.2018 की वैधता दिनांक 07.08.2021 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 04.12.2021 से पूर्व समाप्त हो गई एवं 2. दिनांक 27.04.2022 को जारी ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के बाद जारी किया गया है जो कि विज्ञापन की शर्तानुसार वैध नहीं है।</p> <p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा OBC प्रमाण पत्र से संबंधित वैध अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने तथा GEN/UF के कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से साक्षात्कार हेतु अनर्ह किया गया है।</p>		
4.	520212	<p>अभ्यर्थी को परास्नातक MBA विषय एवं नेट MANGEMENT विषय में धारित करने के कारण अनर्हता सूची दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ पी0एच0डी0 वाणिज्य विषय की औपबन्धिक उपाधि जिसमें दिनांक 23.05.2023 को उपाधि पूर्ण होने का उल्लेख है जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात की है संलग्न की गई है।</p> <p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विज्ञापन की अंतिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात धारित करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से साक्षात्कार हेतु अनर्ह किया गया है।</p>		
5.	520020	520023	520032	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 20.07.2023 तक कोई वांछित अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मा0 आयोग द्वारा उक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
	520079	520093	520095	
	520101	520109	520131	
	520144	520146	520156	
	520168	520182	520184	
	520204	520219		

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।